न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–04,गाजीपुर।
{उपस्थितः श्री दुर्गेश. (एच0 जे0 एस0)**}**
जे.ओ.कोड यू.पी.1626,

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2556 / 2022.
सी.एन.आर.नं. यू.पी.जी.एच.–010052772022

राजन राजभर उर्फ रुपेश राजभर पुत्र प्रदीप राजभर।
निवासी–ग्राम गुरैनी, थाना–शादियाबाद, जनपद–गाजीपुर

––––––––––प्रार्थी / अभियुक्त.

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

––––––––––––विपक्षी.

अपराध संख्या–175 / 2022
धारा–457, 380, 411, 427 भा0दं0सं0
थाना–शादियाबाद,
जनपद–गाजीपुर।

अधिवक्ता अभियुक्त– श्री गंगा प्रसाद सिंह।
अधिवक्ता राज्य– श्री शशि कान्त सिंह,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

दिनांक–20.10.2022

1. आवदेक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

2. मु0अ0सं0–175 / 2022, अंतर्गत धारा–457, 380, 411, 427 भा0दं0सं0 थाना–शादियाबाद, जिला गाजीपुर के प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया गया कि आवेदक / अभियुक्त को शादियाबाद पुलिस घर से पकड़कर ले गयी थी और घर वालों से बतायी कि अभी छोड़ देगे। दो दिन बाद पुलिस दिनांक 01.10.2022 को आवेदक / अभियुक्त को उपरोक्त अपराध संख्या में झूठे एवं फर्जी आधार पर मुकदमा वादी के प्रभाव में आकर फंसा दिया गया है। आवेदक / अभियुक्त द्वारा उपरोक्त घटना कारित नहीं की गयी। मुकदमा वादी प्राथमिक विद्यालय का हेड मास्टर है व अपनी कारगुजारी को छिपाने हेतु थाना पुलिस को असर व प्रभाव में करके फर्जी मुकदमा दर्ज कराया एवं उसके प्रभाव में आकर पुलिस अपनी कारगुजारी दिखाने हेतु आवेदक / अभियुक्त को फर्जी व मनगढ़त आधार पर फंसाया है। आवेदक / अभियुक्त सम्भ्रान्त परिवार का व्यक्ति है व अपना बिजनेस व्यवसाय व कृषि करके जीविकोपार्जन करता है। आवेदक / अभियुक्त पढ़ने वाला छात्र है व भविष्य बबोद करने की नियत से दुश्मनान की साजिश में पुलिस प्रभाव में आकर फर्जी व झूठे आधर पर फंसाकर भविष्य बर्बाद करना चाहती है। आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक / अभियुक्त विचारण में सहयोग प्रदान करेगा व गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। आवेदक / अभियुक्त के फरार होने की सम्भावना नहीं है। आवेदक / अभियुक्त नवयुवक है और पुलिस एवं मुकदमा वादी के कृत्य से सम्पूर्ण भविष्य बर्बाद होने की सम्भावना है। आवेदक / अभियुक्त एक सम्भ्रान्त परिवार का व्यक्ति है। माननीय न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते निर्धारित किया जायेगा उसका पालन करने हेतु आवेदक / अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है।

3. वहीं दूसरी ओर अभियोजन–पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.06.2022 को वादी मुकदमा आलोक रंजन प्र0प्र0अ0 के विद्यालय में कार्यालय एवं किचन रुम का ताला तोड़कर गैस सिलेण्डर, गैस चूल्हा, समर्सेबल स्टार्टर भगोना, पल्टा, बाल्टी लेकर चले गये और सभी रजिस्टर जला दिया गया है और कार्यालय के भी सभी अभिलेख जला दिये है। अतः श्रीमान् से निवेदन की गयी कि इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने की कृपा करे।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.10.2022 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अभियुक्त के भागने या साक्षियों को प्रभावित किये जाने के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त को नवयुवक/छात्र बताया गया है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

6. अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. आवेदक/अभियुक्त राजन राजभर उर्फ रुपेश राजभर का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाये।
2. अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे तथा जिस तिथि पर साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा, उस दिन कोई भी स्थगन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. अभियुक्त साक्ष्य अथवा साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।

(दुर्गेश),
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–04 गाजीपुर।